न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–134 सन् 2014

मु0 छठिया कुंअर वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

प्रमिला देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 01.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 07.09.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 प्रमीला देवी की मृत्यु दिनांक 02.01.2021 को अपने निवास स्थान पर हो चुकी है। इसलिए अर्जीदावी से प्रमीला देवी का नाम कलमजद करना वो उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्याय के लिए जरूरी है। यह आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दिया गया है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 26.10.2021 को दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कथन है कि जिस बयानात के साथ वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है। बल्कि काबिले खारिज के है। वादी का सवाल विलंब से दाखिल किया गया है। वादी ने प्रमिला देवी की मृत्यु की तिथि 02.01.2021 बतलाया है तथा सवाल दिनांक 07.09.2021 को दाखिल किया है। वादी का सवाल कानूनी रूप से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 प्रमिला देवी थीं जिनकी मृत्यु दिनांक 02.01.2021 को अपने जायज वारिसान

अभिषेख कुमार वो विकाश कुमार दोनों वल्दान मनोज कुमार को छोड़कर मृत्यु हो गई है। वादी की ओर प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 01 प्रमिला देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल आवेदन को 200/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।